## शशिधर खान की लघुकथाएं

# ग्यारह जने

छठुआ की बेटी की लाश आंगन में पड़ी है. उसके सारे गोतिए लाश घेरकर बैठे है. उन्हें इस बात की चिंता है कि बेटी की मजदूरी से पेट पालनेवाला छठुआ ग्यारह जनों को कहां से खिलाएगा. लाश उसी चिथड़े से ढंकी है, जिसमें सबेरे बेटी मरी पाई गई. कहते हैं, सांप काट लिया. जिन गोतियों ने छठुआ के बीवी-बच्चे को एक शाम खाना देने लायक नहीं समझा, उन्होंने छठुआ को कफन के पैसे और श्राद्ध-भोज के चावल-दाल के लिए उसे गांव के महाजन रघुनाथ बाबू के यहां भेजा हुआ है. बड़े दयावान हैं, उन्होंने ही छठुआ की बीवी के श्राद्ध में वासडीह का अंगूठा निशान लेकर मदद की थी. छठुआ की बीवी उन्हीं के यहां बर्तन मांजते हलवाहों के लिए रोटी सेंकते काली खांसी से मरी.

रघुनाथ बाबू शायद ड्योढ़ी पर नहीं हैं, इसलिए छठुआ के लौटने में देर हो रही है और इधर उसके आंगन में टीपाटीपी चल रही है - लाश को जलाना क्या जरूरी है, छठुआ लकड़ी कहां से लाएगा. मैं तो अपना जामुन नहीं काटने दूंगा. मेरे को बरसात से पहले घर बनाना है.

दूसरा टीपता है - क्यों न लाश नदी में बहा दिया जाए, लेकिन ग्यारह जनों को तो खिलाना ही होगा?

इस पर सहमति है - हां -हां, इसके बिना तो श्राद्ध ही अशुभ होगा. महापात्र बोल गए हैं कि ग्यारह जनों के साथ प्रेत खाता है, जिसकी नाराजगी का कोपभाजन पूरे गांव को बनना होगा और प्रेतछाया से महाअमंगल हो सकता है.

महापात्र समझाते हैं - ''भैया, ग्यारह जने छठुआ की गरीबी और लाचारी को देखते हुए कम-से-कम रखा गया है. वैसे तो पूरे गांव को खिलाना होता है. हमारा भोजन अलग है.''

तबतक छठुआ आ जाता है. महाजन बाबू ने कहा जरूर 'भरूबा, तुमको कुछ देना तो पानी में बहाना है. फिर भी श्राद्ध तो करा ही दूंगा, गांव की नाक नहीं कटने दूंगा' और ग्यारह जनों को खिलाने लायक दाल-चावल के साथ-साथ लाश जलाने के लिए लकड़ी भी दे दी. उनसे उपकृत आंगन को घेरे गोतियों के उद्‌गार - 'चाहे तो कह लो, गरीबों के सहारा हैं रघुनाथ बाबू, आखिर खानदानी महाजन ठहरे.'

श्मशान घाट से लौटने तक छठुआ का वासडीह महाजन बाबू की जोती जमीन में तब्दील हो चुका और छठुआ का छौनी-छप्पर खेत में मिलाने का काम बिबरानेवाले वही ग्यारह जने थे, जिन्होंने श्राद्ध का भोज खाया.

महाजन बाबू की भैंस की पीठ पर लेटा छठुआ खुश है, जिन्होंने उसे चरवाहा रख लिया ताकि कर्ज चुका सके. पगार तबतक कटती रहेगी, जबतक एक ही संतार के श्राद्ध-भोज के लिए लिया गया बयाना का ब्याज सध नहीं जाए. महाजनी व्यवस्था के मुताबिक बेसहारा छठुआ के परिवार में अब कोई रोवनहारा भी नहीं बचा, जो मूलधन चुका सके, इसलिए उसकी पगार मृत्युपर्यन्त ड्योढ़ी में जमा होती रहेगी. तबतक उसे खाना, कपड़ा मिलता रहेगा.

# टेबुल की फीस

जमीन जायदाद मकान की रजिस्ट्री वाले ऑफिस से साफ-सुथरी छवि लेकर रिटायर हुए लाला बद्री नारायण को उसी टेबुल से साबका पड़ गया, जिस पर वे कभी खुद बैठा करते थे. पड़ोसी टीकमचंद को साथ ले उन्होंने कई चक्कर लगाए. रोज-रोज 'कल दस बजे आइए' सुनते-सुनते लाला का धैर्य जबाब दे गया - आखिर आप मोटी फाइल बढ़ा क्यों नहीं रहे, वो कल कब आएगा जब आप उस फाइल से धूल झाड़ने का समय निकाल पाएंगे?

टेबुल के बड़ा बाबू ने उनकी ओर आंख उठाकर देखे बिना ही जवाब दिया- 'आप बुजुर्ग और अनुभवी हैं, तब भी ऐसे पूछ रहे हैं. मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि टेबुल से फाइल कैसे बढ़ती है, उसका तौर-तरीका आपको बाहर मंगलू समोसेवाले के यहां ले जाकर समझाना पड़ेगा.

'कैसे बढ़ती है, आप हमें समझाने चले हैं, पता है, इसी टेबुल से दो साल पहले मैं रिटायर हुआ हूं, आप नया राज्य बनने के बाद तबादला लेकर आए हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है. ज्यादा

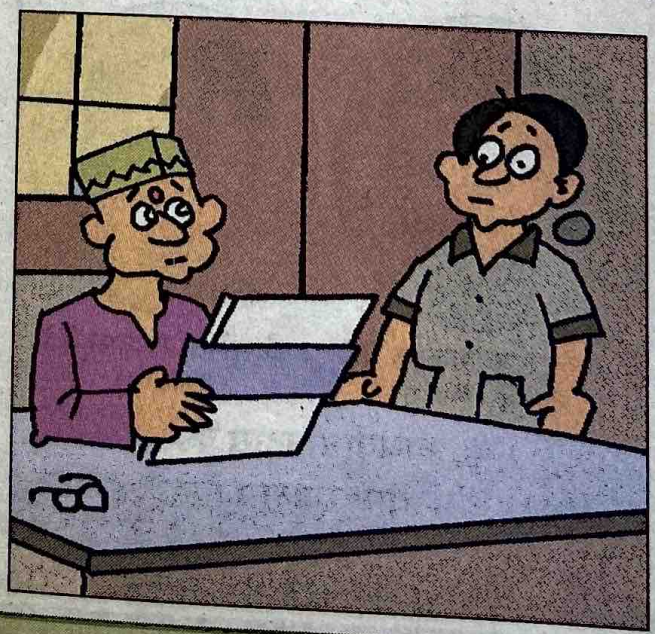

समझदारी मेरे को मत दिखाएं' - लाला आपे से बाहर हो गए.

लेकिन बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ा. उसने पहले की तरह इत्मीनान से चश्मा आंख से थोड़ा नीचे लाकर कहा- 'फिर तो आपको और भी अच्छी तरह पता होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस में काम कैसे होता है.'

लाला गुस्से में थूक निगलकर उबल पड़े - 'लाइए दीजिए मेरी फाइल, मैं दूसरे टेबुल से बढ़वाऊंगा. पड़ोसी टीकमचंद ने भी उनकी हां में हां मिलाई - 'हर जगह थोड़े ही अंधेर है. बाबू ने सहर्ष फाइल सौंपते हुए ठहाके लगाए - 'लाला जी किसी भी टेबुल पर जाओगे बिना फीस के बात नहीं बनेगी.' यह बाबू नहीं टेबुल लेता है, जो बैठेगा, वो लेगा. चाहो तो कई दिनों का कल आज और अभी में बदल सकता है, आपके हाथ में है, सोच लो. अपने टाइम में आपने 'कमाई' नहीं की होगी यह तो माना नहीं जा सकता और आज मेरी 'रोजी' मारने पर तुले हो. याद होगा कि रजिस्ट्रार के दस्तखत और स्टैम्प वाले टेबुल की अलग-अलग फीस होती है. फाइल आप ले चुके हैं, अब आप जानो आपका काम जाने.'

लाला बाबू तो घूटते रहे और वो 'समझाता' रहा - 'टेबुल की फीस की रसीद नहीं होती, सिर्फ रजिस्ट्री की होती है, जिसके लिए पहले ही भुगतान करना होता है. इसे लाल बत्ती पार करने वालों और बिना हेलमेट के दुपहिया वाहनचालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटी जानेवाली पर्ची से जोड़कर देखो न. एक रेड लाइट से बचकर भागने से काम नहीं चलता. छुटकारा तभी मिलेगा जब भुगतान होगा- चाहे पहलेवाली पर करो या लास्टवाली पर...

**संपर्क :** बी-102, आफिसर्स हॉस्टल,

बेली रोड, पटना-800001

मो. 9871410762